(44)

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश ।

===

निगरानी क्रमांक निगरानी 2084-I-15 सन् /2015 R

1. रामकृपाल तनय श्री पंचा कोरी निवासी ग्राम ग्राम पाय तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।
2. देवेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री शंकर प्रसाद सिंह बुन्देला निवासी ग्राम पाय तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0।
3. इन्द्रदेव सिंह तनय स्व0 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह बुन्देला निवसी ग्राम पहरा हाल महल रोड छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 । ------------निगरानीकर्तागण

श्री मुकेश भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 4-2-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4/2/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. ...बाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पत्नी श्री दमईया अहिरवार निवासी ग्राम पाय हाल निवासी टटम तह0 महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0
2. हीराबाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पुत्री हीराल अहिरवार निवसी ग्राम पाय हाल बैनीगंज तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।
3. पुनियाबाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पत्नी श्री छिद्दी अहिरवार निवसी ग्राम पाय हाल नि0 गोरा तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।
4. फूलाबाई पुत्री स्व0 श्री रामदास अहिरवार पत्नी शंकललाल अहिरवार निवासी ग्राम पाय हाल नि0 एयरपोर्ट कॉलोनी खजुराहो तह0 राजनगर जिला छतरपुर मध्यप्रदेश ।
5. ~~मृत~~ गुलजारी तनय स्व0 श्री रामदास अहिरवार निवासी ग्राम पाय तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ।
6. शासन मध्यप्रदेश । ------------गैर निगरानीकर्तागण

मुकेश भार्गव
4-7-15 एडवोकेट
ग्वालियर

1 जमुनियाबाई बेवा गुलजारी
2 वीरेन्द्र
3 बबलू पुत्रगण
स्व. गुलजारी
माननीय न्यायालय
के आदेश दिनांक ...

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2084-एक/2015 जिला छतरपुर रामकृपाल विरूद्ध कटटूबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अपील/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

04/02/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

04/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य